क्या मैं काम करने की ख़तरनाक स्थिति में हूँ?



जब 18 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चे को कोई धोखा देता है, चोट पहुँचाता है, अथवा उसके साथ समुचित बर्ताव किए बिना या उसे पर्याप्त भुगतान किए बिना काम करने को बाध्य करता है, <mark>तो यह बाल श्रम की तस्करी है।</mark> घरों की सफ़ाई करने अथवा खेतों में काम करने के साथ ही भीख मांगने एवं नशीली दवाएं बेचने जैसे कामों में भी ऐसा हो सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि **यह ग़लत है** तथा आपके पास सहायता पाने का अधिकार है।

निम्नलिखित दशाओं में आप तस्करी की स्थिति में हो सकते हैं, यदि:



आप आश्वस्त न हों कि आपको कब तथा कैसे भुगतान किया जाएगा



आप जहाँ आप काम करते/करती हैं, उसी स्थान पर रहते/रहती हैं



आपको परिवार से **जुड़ने की अनुमति न हो**



आपके गृह देश में आपका परिवार खतरे में हो



आपको **स्कूल जाने की अनुमति न हो**



आप छोटे बच्चों का ख्याल रखने वाले/ वाली अकेले/अकेली हैं



आपसे **दूसरों की सेवा करने की अपेक्षा** की जाती हो, भले ही आप न चाहते/ती हों



कोई वादा कर रहा हो कि यदि आप उनके लिए काम करें, तो वे आपका कर्ज चुका देंगे



कोई आपके महत्वपूर्ण प्रलेख जैसे आपका पासपोर्ट या पहचान-पत्र ले ले



आप **आर्थिक रूप से अपने परिवार के लिए** जिम्मेदार हैं



आपको तथा दूसरे लोगों को काम करने के दौरान चोट लग गई तथा डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं दी गई



आपको **आप्रवासन में बदल दिए** जाने अथवा निर्वासित करने की धमकी दी जा रही हो

M

यदि आप अथवा आपका कोई परिचित ऐसा अनुभव कर रहा हो, तो सहायता मौजूद है!

यदि आप तात्कालिक ख़तरे में हों, तो 911 पर कॉल करें। National Human Trafficking Hotline (राष्ट्रीय मानव तस्करी हॉटलाइन) **200 से अधिक भाषाओं** में सहायता के साथ 1-888-373-7888 पर कॉल करने पर **दिन के 24 घंटे,** सप्ताह के **7 दिन** सहायता करती है।